

आयोजनारूप  
उत्तर प्रदेश शासन  
०८.१२.२०१२

५.०१

कृषि अधिकारी  
लखनऊ

अधिकारी  
लखनऊ  
०८.१२.२०१२  
अधिकारी

उत्तर प्रदेश शासन  
भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—१  
संख्या—४५८/५४-१-१२/०१(०१)/२०१०  
लखनऊ, दिनांक—०८ अक्टूबर, २०१२

कार्यालय ज्ञाप

कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2012 को आयोजित स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी की 13वीं बैठक में लिए गये निर्णयानुसार भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लिए निर्गत समान मार्गदर्शी सिद्धान्त-2008 (संशोधित 2011) में दी गयी व्यवस्था के परिपालन में समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई०डब्ल्य०एम०पी०) के क्षमता निर्माण कार्य में एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड के अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए क्षमता निर्माण के पैनल में शामिल करने हेतु नामित किया जाना है।

(आनन्द कुमार सिंह)

संख्या—४५८/०१(०१)/२०१० तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, 23 सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, पाण्डु नगर, कानपुर।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर, (जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद तथा काशीरामनगर को छोड़कर) उ०प्र०।
4. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, एग्रीकल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड, धनराज महल, प्रथम तल, सी०एस०एम० मार्ग, मुम्बई-400001
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ० प्र० शासन।
8. समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार सिंह)

४५८/०१(०१)/२०१०

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अधिकारी  
लखनऊ  
०८.१२.२०१२  
अधिकारी  
लखनऊ  
०८.१२.२०१२  
B-2